



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14012023-241992
CG-DL-E-14012023-241992

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 226]
No. 226]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 13, 2023/पौष 23, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 13, 2023/PAUSHA 23, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2023

का.आ. 240(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.५४८८ दिनांक २४.११.२२, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले में NH-53 के कि.मी. 0.00 से कि.मी.८८.२०० (लैंड एक्वीजीशन सेल, कलेक्टोरेट, बरगढ़) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०६.१२.२२" को "सम्बाद" और "द सकाल" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और जबकि सक्षम प्राधिकारी को कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले में NH-53 के कि.मी. 0.00 से कि.मी.88.200 (लैंड एक्वीजीशन सेल , कलेक्टोरेट , बरगढ़) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उड़ीसा		जिले का नाम: बरगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बरगढ़				
	गांव का नाम: बारहगुडा				
1	1382	निजी	घरबारि - I	0.0364225	गीता देवी अग्रवाल, डबल्यू/ओ.जुगल किशोर-एग्रवाल, आर्/ओ.वार्ड नो.5, बरगढ़ ()
2	1383	निजी	घरबारि - I	0.0040469	गीता देवी अग्रवाल, डबल्यू/ओ.जुगल किशोर-एग्रवाल, आर्/ओ.वार्ड नो.5, बरगढ़ ()
	गांव का नाम: जामुण्डा				
3	4467	निजी	घरबारि - I	0.0364225	संदीप कुमार पंसारी, एँस्/ओ.रामनिबाश पंसारी, आर्/ओ. वार्ड नो. 5 बरगढ़ ()
4	4468	निजी	आट साधारण	0.0364225	केशव प्रधान, एँस्/ओ रुद्र प्रधान, आर्/ओ.जमुर्दा ()
5	4469	निजी	घरबारि - I	0.1497369	केशव प्रधान, एँस्/ओ रुद्र प्रधान, आर्/ओ.जमुर्दा ()

6	4470	निजी	घरबारि - I	0.0242817	तपन कुमार भोटौदा, तुसरकांता, ऍस् /ओ.अरविन्द भोटौदा, भारत भोटौदा, ऍस् /ओ.बल्लभ,आनंद भोटौदा, ऍस्/ओ. चंद्र कांटा, आर्/ओ. वार्ड नो 9, बारागढ़ ()
7	4471	निजी	माल साधारण	0.0202347	पैलट साहू, बिप्लब साहू, ऍस्/ओ. भुवनेश्वर साहू, आर्/ओ. जमुर्दा ()
8	4472	निजी	आट साधारण	0.0040469	सेसादेव प्रधान, ऍस्/ओ. बुधू प्रधान, आर् /ओ. जमुर्दा ()
9	4474	निजी	आट साधारण	0.0040469	घसीराम प्रधान, ऍस्/ओ बुधू प्रधान, आर् /ओ .जमुर्दा ()
10	4475	निजी	आट साधारण	0.0040469	संतोष कुमार सुबुद्धि, ऍस्/ओ. रामेश्वर सुबुद्धि, आर्/ओ. वार्ड नो.3 बरगढ़ ()
11	4499	निजी	आट साधारण	0.0040469	गिरिधारीलाल शर्मा, ऍस्/ओ.खयमचंद शर्मा आर्/ओ वार्ड नो.5, बरगढ़ ()
12	4507	निजी	आट साधारण	0.0080939	खिरोद्रा प्रधान , ऍस्/ओ लोचन प्रधान, बिपिन प्रधान , ऍस्/ओ.बिंबधर, जादुमनी, ऍस्/ओ. चिंतामणि, भगवान, नेहेरु ऍस्/ओ.जरा प्रधान आर् /ओ.जमुर्दा ()
13	4509	निजी	आट साधारण	0.0283286	बेनुधर भोई, ऍस्/ओ. त्रिलोचन भोई, आर् /ओ. जमुर्दा ()
	गांव का नाम: तोरा				

14	2576	निजी	बाहाल पानी - I दोफसली	0.1011736	बांछनिधि पत्र, बिंबधर, मोतीलाल, एस् /ओ.बलिराज पत्र, आर्/ओ. तोरा ()
			कुल	0.4613514	

[फा. सं. NHAI/BOT/11012/73/2005/pt/LA/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th January, 2023

S.O. 240(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O No 5488 dated 24.11.2022**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-53 on the stretch of land from Km 0.00 to Km 88.200 (Land Acquisition Cell, Collectorate, Bargarh) in the district of BARGARH in the state of ODISHA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Sambad*” and “The Sakala” both dated 06.12.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections has been received by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH-53 in the stretch of land from Km 0.00 to Km 88.200 (Land Acquisition Cell, Collectorate, Bargarh) in the district of BARGARH in the State of ODISHA

State: ODISHA		District: BARGARH			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bargarh				
	Village: Barahaguda				
1	1382	Private	Gharabari-I	0.0364225	Geeta Devi Agrawal, W/o. Jugal kishore Agrawal, R/o. ward No.5, Bargarh
2	1383	Private	Gharabari-I	0.0040469	Geeta Devi Agrawal, W/o. Jugal kishore Agrawal, R/o. ward No.5,

					Bargarh
	Village: Jamurda				
3	4467	Private	Gharabari-I	0.0364225	Sandip Kumar Pansari, S/o.Ramnibash Pansari, R/o, Ward No. 5 Bargarh
4	4468	Private	Ata Sadharan	0.0364225	Keshab Pradhan,S/o Rudra Pradhan,R/o.Jamurda
5	4469	Private	Gharabari-I	0.1497369	Keshab Pradhan,S/o Rudra Pradhan,R/o.Jamurda
6	4470	Private	Gharabari-I	0.0242817	Tapan Kumar Bhotoda, Tusarakanta, S/o.Arabinda Bhotoda, Bharat Bhotoda,S/o.Ballabha,Anand Bhotoda,S/o. Chandra Kanta, R/o. Ward No 9, Baragarh
7	4471	Private	Mal Sadharan	0.0202347	Pailot Sahu, Biplab Sahu, S/o. Bhubaneswara Sahu,R/o. Jamurda
8	4472	Private	Ata Sadharan	0.0040469	Sesadeb Pradhan, S/o. Budhu Pradhan, R/o. Jamurda
9	4474	Private	Ata Sadharan	0.0040469	Ghasiram Pradhan, S/o Budhu Pradhan, R/o .Jamurda
10	4475	Private	Ata Sadharan	0.0040469	Santosh Kumar Subudhi, S/o. Rameswar Subudhi, R/o. Ward No.3 Bargarh
11	4499	Private	Ata Sadharan	0.0040469	Giridharilal Shirma,S/o.Khymachand Shirma R/o Ward No.5, Bargarh
12	4507	Private	Ata Sadharan	0.0080939	Khirodra Pradhan , S/o Lochan Pradhan, Bipin Pradhan ,S/o.Bimbadhar, Jadumani, S/o. Chintamani, Bhagaban,Neheru S/o.Jara Pradhan R/o.Jamurda
13	4509	Private	Ata Sadharan	0.0283286	Benudhar Bhoi,S/o. Trilochan Bhoi, R/o. Jamurda
	Village: Tora				
14	2576	Private	Bahal Pani- I Dofasali	0.1011736	Banchhanidhi Patra, Bimbadhar, Motilal, S/o.Baliraj Patra,R/o. Tora
			TOTAL	0.4613514	

[F. No. NHAI/BOT/11012/73/2005/pt/LA/3D]

RAJESH GUPTA, Director